प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 36 सन 2021
अनवान :–

1. **दलीप कुमार** पुत्र साजनराम जाति मेघवाल निवासी मुन्सरी तहसील **नोहर जिला हनुमानगढ।**

प्रार्थी

बनाम

1. **राजस्थान** राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती **अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व** अधिनियम 1956
उपस्थित :– श्री राजपाल झोरड **अधिवक्ता प्रार्थी**
निर्णय दिनांक :– 04.10.2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह **प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के** तहत पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा **मुन्सरी के खाता संख्या 230/216 की कुल** 2.5300हैक में से 1/7 हिस्सा, खाता संख्या231/217 **की कुल 22.7380हैक में से 1/28 हिस्सा भूमि प्रार्थी** का खातेदार काश्तकार है।

प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय उच्चारण के कारण **दलीप पुत्र साजनराम दर्ज हो गया जबकि** प्रार्थी का सही नाम दलीप कुमार है यही नाम अन्य **सभी दस्तावेजात में दर्ज है प्रार्थी का गलत नाम** राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से प्रार्थी के खातेदारी **अधिकारों का हनन होता है।**

प्रार्थी का नाम अन्य दस्तावेजात जैसे मतदाता फोटा पहचान पत्र , **आम आदमी का आधार कार्ड परिवार राशन कार्ड** सभी में प्रार्थी का नाम दलीप कुमार दर्ज है सहवन से **राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत तौर** से दर्ज हुआ है इसलिये प्रार्थी अपना नाम राजस्व रिकार्ड **में संशोधन करवाने का अधिकारी है ।**

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकार्ड वाद भूमि **में प्रार्थी का नाम संशोधन करने के आदेश फरमावे।**प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर **किया गया**

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021 कैम्प कोर्ट में **पेश हुई प्रार्थी को सुना पत्रावली का अवलोकन** किया रोही मौजा मुन्सरी के खाता संख्या 230/216 **की कुल 2.5300हैक में से 1/7 हिस्सा, खाता** संख्या231/217 की कुल 22.7380हैक में से 1/28 **हिस्सा भूमि प्रार्थी का खातेदार काश्तकार है।**

जिसमें प्रार्थी का नाम दलीप पुत्र साजनराम दर्ज है। प्रार्थी का कथन **है कि उसका सही नाम दलीप कुमार पुत्र** साजनराम है यही नाम अन्य दस्तावेजात में भी दर्ज है।

प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात मतदाता फोटो पहचान पत्र , **आम आदमी का आधार कार्ड , परिवार राशन कार्ड** सभी में प्रार्थी का नाम दलीप कुमार दर्ज है प्रार्थी के **नाम के सम्बध में सरपंच ग्राम पंचायत ननाउ ने** भी प्रार्थी के नाम की तस्दीक की जाकर प्रमाण पत्र **पेश किया।**

प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं सरपंच ग्राम पंचायत की **तस्दीक से प्रार्थी का नाम दलीप कुमार होना** प्रतीत होता है प्रार्थी नाम संशोधन करने से राज्यहकों **को कोई नुकसान नही है बल्की राजस्व** रिकार्ड ही संशोधन होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साक्ष्य सबुतों /सरपंच ग्राम पंचायत की **तस्दीक के आधार पर स्वीकार योग्य होने** के कारण स्वीकार किया जाता है कि रोही मौजा मुन्सरी के **खाता संख्या 230/216 की कुल 2.5300हैक** में से 1/7 हिस्सा, खाता संख्या 231/217 की कुल **22.7380हैक में से 1/28 हिस्सा भूमि में प्रार्थी** का नाम दलीप दर्ज के स्थान पर दलीप कुमार संशोधन **किया जाता है इसी अनुसार राजस्व** रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष **अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से** कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 04/10/2021 को प्रशासन गांव कें संग अभियान वर्ष – 2021 **में मेरे द्वारा लिखाया** जाकर सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनुमानगढ)
नोहर
प्रशासन गांव के संग अभियान–2021
कैम्प कोर्ट ..ननाउ...

Scanned with CamScanner

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नोहर

क्रमांक : राजस्व/रीडर/2020/ 09 5/10/21 दिनांक :–

तहसीलदार राजस्व
नोहर ।

विषय :– प्रकरण संख्या 36/2021 अनवानी दलीप कुमार **बनाम सरकार में** पारित निर्णय की पालना करवाने के सम्बध मे।

प्रंसग :– अनवान :–

1. दलीप कुमार पुत्र साजनराम जाति मेधवाल निवासी मुन्सरी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि उक्त प्रकरण संख्या में प्रार्थी **का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर** रोही मौजा मुन्सरी के खाता संख्या 230/216 की कुल 2.5300**हैक में से 1/7 हिस्सा, खाता संख्या 231/217** की कुल 22.7380हैक में से 1/28 हिस्सा भूमि में प्रार्थी का नाम दलीप दर्ज के **स्थान पर दलीप** कुमार संशोधन किये जाने आदेश पारित किये गये है तदानुसार राजस्व रिकार्ड **में संशोधन किया** जाना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान–2021
कैम्प कोर्ट ...ननाउ....

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner